रेवी. 9228-पीबीआर/16

न्यायालय माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर कैंप,भोपाल

रिवीजन प्र.क्र.1046पी/16

राजेश्वरी बाई (मृतक) ....रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

विमलाबाई व अन्य ....रेस्पाडेंटस्

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

रेस्पाडेंटस् की ओर से सविनय निवेदन है

01. यह कि विगत पेशी दिनांक 27.09.2016 को रेस्पाडेंटस् गंभीर रूप से बीमारग्रस्त होने के कारण तथा उनके अभिभाषक पुकार के समय माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पाडेंटस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, जैसे ही विदित हुआ, अविलंब सादर आवेदन प्रस्तुत है उक्त प्रकरण आदेशार्थ नियत है।

02. यह कि रेस्पाडेंट की अनुपस्थिति सकारण एवं सद्भावनापूर्ण होने से वह उपस्थित नहीं हो सके रेस्पाडेंटस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर युक्ति-युक्त पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो रेस्पाडेंटस् के वैधानिक हित गंभीर रूप से प्रभावित होगे तथा वह सम्माननीय न्यायालय से स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगे । इस कारण प्रकरण के स्वच्छ, निष्पक्ष,समुचित न्याय संगत निराकरण हेतु रेस्पाडेंटस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है ।

03. यह कि विधि का सुस्थापित मान्य सिद्धांत है कि अभिभाषक की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये । इस कारण भी रेस्पाडेंटस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर युक्ति-युक्त पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किया ~~जाना न्यायहित में परम आवश्यक है~~ ।

04. यह कि मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पाडेंटस् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर रेस्पाडेंट द्वारा सादर लिखित तर्क का अवलोकन किया जावे जो न्यायोचित होगा।

भोपाल,

रेस्पाडेंटस्

दिनांक:27.10.2016

द्वारा-

Res/ 9228-Bnl/16

24.1.2017	आवेदक की ओर से श्री यशवंत साहू अभिभावक ने उपस्थित होकर प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।	DBL

प्रस्तुतकार

अध्यक्ष

[पीछे देखिये